"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर 2015 — कार्तिक 14, शक 1937

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची--एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं	01	प्रथम श्रेणी	एचएजी+वेतनमान रु. 75000-(3% वार्षिक वेतन वृद्धि)	राज्य सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	जेल उप महानिरीक्षक	01	-तदैव-	15600-39100+7600	राज्य सरकार
3.	सहायक महानिरीक्षक/ अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	01	-तदैव-	15600-39100+6600	राज्य सरकार
4.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	05	-तदैव-	15600-39100+6600	राज्य सरकार
5.	अधीक्षक, जिला जेल	11	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	राज्य सरकार
6.	मेडिकल ऑफिसर	32	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
7.	मेडिकल ऑफिसर (टी.बी.रोग विशेषज्ञ)	01	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
8.	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
9.	वित्त अधिकारी	01	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
10.	उद्योग अधीक्षक/ सहायक संचालक उद्योग	01	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
11.	विधि अधिकारी	04	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
12.	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	-तदैव-	15600-39100+5400	राज्य सरकार
13.	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	02	-तदैव-	9300-34800+4300	राज्य सरकार
14.	उप जेल अधीक्षक (राजपत्रित)	23	-तदैव-	9300-34800+4300	राज्य सरकार

अनुसूची--दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिय]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं	01	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा, जैसा कि शासन, प्रत्येक अवसर पर विनिश्चित करे.
2.	उप महानिरीक्षक, जेल	01		-	100%	-
3.	सहायक महानिरीक्षक/ अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	01 +5 06		-	100%	जेल मुख्यालय में सहायक जेल महानिरीक्षक का एक पद स्वीकृत है जो कि अधीक्षक, केन्द्रीय जेल के समतुल्य है जिस पर शासन, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल को नियुक्त कर सकेगा.
4.	अधीक्षक, जिला जेल	11	40%	60%	-	60% पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिसमें से 40% को उप जेल अधीक्षक संवर्ग से एवं 20% को वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी संवर्ग से भरे जायेंगे.
5.	मेडिकल ऑफिसर	32	-	-	100%	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर.
6.	मेडिकल ऑफिसर (टी.बी.रोग विशेषज्ञ)	01	-	-	100%	-तदैव-
7.	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	-	-	100%	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	वित्त अधिकारी	01		100%		यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो कोष एवं लेखा से समकक्ष संवर्ग के व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे.
9.	उद्योग अधीक्षक/ सहायक संचालक उद्योग	01	-	-	100%	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
10.	विधि अधिकारी	04	100%	-	-	
11.	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	-	100%	-	
12.	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	02	-	100%	-	
13.	उप जेल अधीक्षक (राजपत्रित)	23	-	100%	-	

अनुसूची--तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक, जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिये. (2) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में ऊंचाई 168 से. मी. तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में 155 से. मी. होना चाहिये. (3) सीने का माप बिना फुलाए 84 से. मी. एवं फुलाने पर 89 से. मी. महिला अभ्यर्थियों की दशा में लागू नहीं. (4) दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य तथा सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिये.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	विधि अधिकारी	25 वर्ष	30 वर्ष	विधि स्नातक होना चाहिये.	

टीप :-ऐसे अभ्यर्थी , जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर, जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची--चार

(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक महानिरीक्षक, जेल या अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	जेल उप महानिरीक्षक	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामांकित कोई सदस्य **-अध्यक्ष.** 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव **-सदस्य.** 3. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें-**सदस्य.**	
2.	अधीक्षक, जिला जेल	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	-तदैव-	-तदैव-	
3.	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/अधीक्षक, जिला जेल	-तदैव-	-तदैव-	
4.	उप जेल अधीक्षक (राजपत्रित)	अधीक्षक, जिला जेल	-तदैव-	-तदैव-	
5.	परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी (तृतीय श्रेणी)	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	
6.	कार्यालय अधीक्षक (लेखा प्रशिक्षित) (तृतीय श्रेणी)	वित्त अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	
7.	सहायक जेल अधीक्षक (वेतनमान 5200-20200+2800)	उप जेल अधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013, दिनांक 30-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 30th October 2015

NOTIFICATION

No. F 3-34/Three-Jail/2013. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Jail (Gazetted) Recruitment & Service Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Clause (f) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

2. For Schedule-I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE--I
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of posts included in the service (2)	Total number of posts (3)	Classifi-cation (4)	Scale of pay (5)	Appointing Authority (6)
1.	Director General, Prisons and Correctional Services	01	Class-I	HAG+Pay-scale Rs. 75000-(3% annual increment)	State Government
2.	Deputy Inspector General, Jail	01	-do-	15600-39100+7600	State Government
3.	Assistant Inspector General/ Superintendent, Central Jail	01	-do-	15600-39100+6600	State Government
4.	Superintendent, General Jail	05	-do-	15600-39100+6600	State Government
5.	Superintendent, District Jail	11	Class-II	15600-39100+5400	State Government
6.	Medical Officer	32	-do-	15600-39100+5400	State Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Medical Officer (Tuberculosis Specialist)	01	Class-II	15600-39100+5400	State Government
8.	Female Medical Officer	01	-do-	15600-39100+5400	State Government
9.	Finance Officer	01	-do-	15600-39100+5400	State Government
10.	Superintendent Industry/ Assistant Director Industry	01	-do-	15600-39100+5400	State Government
11.	Law Officer	04	-do-	15600-39100+5400	State Government
12.	Chief Probation and Welfare Officer	01	-do-	15600-39100+5400	State Government
13.	Senior Probation and Welfare Officer	02	-do-	9300-34800+4300	State Government
14.	Deputy Superintendent of Prison (Gazetted)	23	-do-	9300-34800+4300	State Government

SCHEDULE–II
(See rule 6)

S. No.	Name of service/posts	Total number of post	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6 (1) (a)]	By promotion [See rule 6 (1) (b)]	By transfer/ deputation of person from other services [See rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Director General, Prisons and Correctional Services	01	-	-	100%	By deputation or by Transfer from Other Services, as may be decided by the Government each event.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Deputy Inspector General, Jail	01		-	100%	-
3.	Assistant Inspector General/ Superintendent, Central Jail	01 +05 06		-	100%	In Jail head quarter, there is one sanctioned Post of Assistant Inspector General, Jail which is Equivalent to Superintendent Central Jail on which the Government can appoint Superintendent, Central Jail.
4.	Superintendent, District Jail	11	40%	60%	-	Out of 60% posts to be filled by promotion, 40% shall be filled from Deputy Superintendent of Prison Cadre and 20% from Senior Probation and Welfare Officer Cadre.
5.	Medical Officer	32	-	-	100%	On deputation from Public Health and Family Welfare Services.
6.	Medical Officer (Tuberculosis Specialist)	01	-	-	100%	-do-
7.	Female Medical Officer	01	-	-	100%	-do-
8.	Finance Officer	01		100%		If Suitable Candidate is not Available then shall be filled by Transfer / Deputation from Treasury and Accounts of equivalent cadre.
9.	Superintendent Industry/ Assistant Director Industry	01	-	-	100%	On Deputation from Commerce and Industries Department.
10.	Law Officer	04	100%	–	–	
11.	Chief Probation and Welfare Officer	01	–	100%	–	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Senior Probation and Welfare Officer	02	–	100%	–	
13.	Deputy Superintendent of Prison (Gazetted)	23	–	100%	–	

SCHEDULE–III
(See rule 8)

S. No.	Name of the service/posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent, District Jail	21 Years	30 Years	(1) Should be Graduate or equivalent degree from recognized University. (2) Should have posses 168 c.m. height in case of male condidate and 155 c.m. in case of female candidates. (3) Chest size 84 c.m. Unexpanded and 89 c.m. expanded respectively. Not applicable in case of female candidates. (4) Should posses normal vision in both the eyes & physically fit in all respect.	
2.	Legal Officer	25 Years	30 Years	Should be Law Graduate	

Note :-The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE–IV
(See rule 14)

S. No.	Name of service of posts from which Promotion to be made	Name of service or post to which Promotion is to be made	Minimum period of service experience for promotion	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Inspector General Jail or Superintendent, Central Jail	Deputy Inspector Jail	5 Years	1. Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or any member nominated by him **-Chairman.** 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary **-Member.** 3. Director General of Prisons and Correctional Services **-Member.**	
2.	Superintendent, District Jail	Superintendent, Central Jail	-do-	-do-	
3.	Senior Probation and Welfare Officer	Chief Probation Officer/ Superintendent District Jail	-do-	-do-	
4.	Deputy Superintendent of Prison (Gazetted)	Superintendent District Jail	-do-	-do-	
5.	Probation / Welfare Officer (Class-III)	Senior Probation and Welfare Officer	-do-	-do-	
6.	Office Superintendent (Accounts Trained) (Class-III)	Finance Officer	-do-	-do-	
7.	Assistant Superintendent of Prison (Pay Scale 5200-20200+2800)	Deputy Superintendent of Prison	-do-	-do-"	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.